

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं० : 26/2020

1. दीपचंद पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी भाडी त० भादरा।

:- वादी

व न म

1. भगवानाराम पुत्र हंसराम जाति जाट निवासी भाडी त० भादरा।

2. भंवरी पुत्री भगवानाराम पत्नी हरिसिंह जाति जाट निवासी भाडी त० भादरा हाल निवासी शादपुरा त० राजगढ़ जिला चुरू।

3. सुमन पुत्री भगवानाराम पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी भाडी त० भादरा हाल निवासी शादपुरा त० राजगढ़ जिला चुरू।


4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री दीवानसिंह एवं वकील प्रतिवादीगण श्री राजेन्द्र सहारण की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा भाडी के खसरा सं० 101 की 4.769है०, खसरा सं० 43 की 1.442है० कुल 6.211है० बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं० 1 के नाम से खातेदारी दर्ज है में से वादी व प्रतिवादी सं० 1 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं० 2 व 3 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 1 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी दीपचंद व प्रतिवादी सं० 1 भगवानाराम को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 2-3-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



  
सहायक कलक्टर  
(फास्ट ट्रैक) भादरा  
R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)  
भादरा, जिला हनुमानगढ़



न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीजरीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण जारपुरा

प्रकरण सं० 126/2020

1. दीपचंद पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी भाडी त० भादरा।

:- वादी

ब न म

1. भगवानाराम पुत्र हंसराम जाति जाट निवासी भाडी त० भादरा।
2. भंवरी पुत्री भगवानाराम पत्नी हरिसिंह जाति जाट निवासी भाडी त० भादरा  
हाल निवासी शादपुरा त० राजगढ जिला चुरू।
3. सुमन पुत्री भगवानाराम पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी भाडी त०  
भादरा हाल निवासी शादपुरा त० राजगढ जिला चुरू।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज०काश्त०अधि० 1955

उपस्थिति : वकील श्री दीवानसिंह : वादी

वकील श्री राजेन्द्र सहारण : प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक : ०२-०३-२०२५

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि रोही मोजा भाडी के खसरा सं० 101 की 4.769 है, खसरा सं० 43 की 1.442 है कुल 6.211 है वारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं० 1 के नाम से खातेदारी दर्ज है। जो पहले प्रतिवादी सं 1 के पिता हंसराम की खातेदारी हुआ करती थी। हंसराम से विरासतन उक्त भूमि को प्रतिवादी सं० 1 भगवानाराम ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू हैं तथा हिन्दू विधि से शासित होते हैं। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाऊ बनाकर सुधार करना चाहते हैं जिसके लिए उन्हें केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखारमत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 3 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। व प्रतिवादी सं 4 स्टेट की ओर से जवाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादीगण गण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

विक कलक्टर  
भादरा साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यू दीपचंद पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी भाडी  
करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम भाडी प्रदर्श 1  
ता 3, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत भाडी प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये।

वहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने वहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को  
दौराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें


वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पत्ति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।


हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने भाडी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमावंदी व वारिस प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 4 में वारिसप्रमाण पत्र में भगवानाराम के एक पुत्र दीपचंद व दो पुत्री भंवरी व सुमन के अलावा अन्य कोई वारिस होना नहीं बताया गया है। वाद भूमि रोही मोजा भाडी के खसरा सं० 101 की 4.769 है०, खसरा सं० 43 की 1.442 है० कुल 6.211 है० वारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं० 1 के नाम से खातेदारी दर्ज है में से वादी व प्रतिवादी सं० 1 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावें। चूकिं प्रतिवादी सं 2 व 3 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पत्ति के आधार पर काविल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

#### क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा भाडी के खसरा सं० 101 की 4.769 है०, खसरा सं० 43 की 1.442 है० कुल 6.211 है० वारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं० 1 के नाम से खातेदारी दर्ज है में से वादी व प्रतिवादी सं० 1 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चूकिं प्रतिवादी सं० 2 व 3 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी दीपचंद व प्रतिवादी सं० 1 भगवानाराम को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ०२-०३-२०२१ को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(सहायक कलक्टर)  
(फास्ट ट्रेक) भद्रा. S.  
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक)  
भादरा, जिला हनुमानगढ़